रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20012026-269450
SG-DL-E-20012026-269450

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शुक्रवार जनवरी 16, 2026/पौष 26, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 414
No. 18] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2026/PAUSHA 26, 1947 [N. C. T. D. No. 414

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय : स्थापना – 1 शाखा

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

फा. सं. डोई0 1(15)/10/स्था.–1/भर्ती नियम/2017/61.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. जीएसआर 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ''**मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस–सामान्य ड्यूटी एवं एमटीएस–आया, महिला)**'' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को 'मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस–सामान्य ड्यूटी एवं एमटीएस–आया, महिला), भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की भाक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव**:– इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक अथवा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1	**पदनाम**	:	**मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस–सामान्य ड्यूटी एवं एमटीएस–आया, महिला)**
2	**पदों की संख्या**	:	1867* (2025) (1595 एमटीएस–सामान्य ड्यूटी एवं 272 एमटीएस आया, महिला) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3	**वर्गीकरण**	:	समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4	**वेतनमान**	:	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में स्तर–1 (18000–56900/–रुपये)
5	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25* वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **टिप्पणी**:–आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18 तथा 27 वर्ष के बीच होगी।
7	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता**	:	केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष उत्तीर्ण।
8	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो**	:	दो (02) वर्ष
10	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है**	:	लागू नहीं

12	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति :– 1. निदेशक (शिक्षा)–**अध्यक्ष** 2. विशेष निदेशक/अपर निदेशक (समाज कल्याण)–**सदस्य** 3. उप–सचिव (सा0प्र0वि0)–**सदस्य** (**टिप्पणी**:–यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।)
13	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पाटिल प्रांजल लाहेनसिंह,आईएएस अपर निदेशक (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION : ESTABLISHMENT-I BRANCH

NOTIFICATION

Delhi, the 16th January, 2026

F. No. DE.1(15)/10/E-I/RRs/2017/61.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification number G.S.R. 840 dated the 13th July, 1959, the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Multi-Tasking Staff [MTS-General Duty and MTS-Aaya, Female]** in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

1. **Short title and commencement:-**(i)These rules may be called the Multi Tasking Staff [MTS-General Duty and MTS-Aaya, Female] Recruitment Rules, 2025.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay level in Pay Matrix:-**The number of said post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached with these rules.

3. **Method of recruitment, age limit qualification, etc.:-** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications: -** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax: -** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving: -** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	**Name of the Post**	:	Multi Tasking Staff [MTS-General Duty and MTS-Aaya, Female]
2	**Number of Post**	:	1867*(2025) [1595 MTS-General Duty and 272 MTS Aaya, Female] *Subject to variation dependent on workload.
3	**Classification**	:	Group – 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial
4	**Scale of Pay**	:	Level-1 (Rs. 18000-56900) of 7th CPC Pay Matrix.
5	**Whether selection post or Non-selection post**	:	Not Applicable
6	**Age Limit for Direct Recruitment**	:	Between 18-25* years (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.
7	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	:	Matriculation OR equivalent pass from a Central/State Government recognized University/Board.
8	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes**	:	Not Applicable
9	**Period of probation, if any**	:	Two (02) Years
10	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**	:	100% by Direct Recruitment.
11	**In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion /deputation absorption to be made**	:	Not Applicable
12	**If a Departmental promotion committee exists what is its composition**	:	Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Director (Education) - Chairperson. 2. Spl. Director/Addl. Director (Social Welfare) - Member. 3. Dy. Secretary (GAD) - Member. (**Note**: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.)
13	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**	:	Not Applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

PATIL PRANJAL LAHENSINGH, IAS, Addl. Director (Education)

ssUploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.20 12:30:12 +05'30'